

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक-रा0आ0आ0 (वाद) 10/2020-688

राँची, दिनांक- 02.11.2020

कोर्ट नोटिस

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
रामगढ़।

विषय:- ग्राम-खोखा, पंचायत-हुप्पु, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ के श्री शंकर करमाली व अन्य कुल 20 कार्डधारियों के मामले में सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम-खोखर, पंचायत-हुप्पु, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ के श्री शंकर करमाली व अन्य कुल 20 कार्डधारियों द्वारा जनवितरण प्रणाली दुकानदार श्री प्रेमचंद महतो, ग्राम-खोखा, पंचायत-हुप्पु, पो0-तोयर, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ के विरुद्ध राशन कम देने सम्बन्धी एवं माह जून-जुलाई, 2020 में कार्डधारियों को राशन नहीं देने सम्बन्धी शिकायत-पत्र पर अगली सुनवाई की तिथि दिनांक-06.11.2020 को 1.30 बजे अपराहन में निर्धारित की गई है।

अतः आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अनुपालन प्रतिवेदन सहित आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।